राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 595/2025

रधुवीर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : **20**.03.2025
आदेश की दिनांक : 25.03.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. त्रिवेदी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान मे वनपाल के पद पर कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुर वाटी, झुंझुनू में कार्यरत है, जहां अपीलार्थी ने उप वन संरक्षक झुंझुनू के आदेश दिनांक 10.08.2022 की पालना में दिनांक 01.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपना कार्यभार ग्रहण किया था। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपवन संरक्षक, चुरू में किया गया है, जो कि वन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण संबंधी दिशा–निर्देश दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक–5) के शर्त संख्या 1.1 एवं 2.0 में उल्लेखित स्थानांतरण संबंधी दिशा–निर्देशों के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है। आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुर वाटी के पत्र दिनांक 05.02.2025

(अनुलग्नक–4) द्वारा उप वन संरक्षक, झुंझुनू को निवेदन किया गया है कि उनकी रेंज के अधीन दो–दो कन्जेशन रिजर्व तथा 5 नाके अवस्थित हैं। रेंजाधीन क्षेत्र 5 वनपाल नाको में विभाजित है, जिनमें से चार नाका इंचार्ज वनपालों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा चुका है व किसी का भी रिलीवर नहीं आया है। रेंज अधीन क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील है, अतः रेंज के विभिन्न राजकीय दायित्वों के सफल निर्वहन की आवश्यक्ता के अनुरूप पर्याप्त कार्मिक नहीं होने से अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश की पालना के क्रम में अपीलार्थी को कार्यमुक्त/भारमुक्त करने में शिथिलता देवें। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह रोग से ग्रसित है एवं अपीलार्थी का ईलाज उदयपुर वाटी में ही चिकित्सक विशेषज्ञ के अधीन चल रहा है। अपीलार्थी की पत्नी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुर वाटी के कार्यालय में (अनुलग्नक–2) पदस्थापित है एवं सेवा नियमानुसार भी पति–पत्नी दोनों राजकीय कार्मिक हों तो यथासम्भव एक ही स्थान पर पदस्थापित किया जाना चाहिये। अतः उपरोक्त विवेचना के आधारों पर अपील अपीलार्थी ग्राह्य कर स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं अप्रार्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निरन्तरता में कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू में यथावत कार्यरत रखा जावे।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 1 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह

की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य